



# RNA : Real News Analysis

# DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,  
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण




**Market Intervention Scheme**  
The Government has announced the Market Intervention Scheme (MIS) for various agricultural commodities. The scheme is aimed at stabilizing the prices of these commodities and ensuring the availability of essential food items to the public. The MIS is implemented only when there is a shortage of the commodity in the market. The Government will purchase the commodity at a fixed price and store it in government godowns. When the market price falls below the fixed price, the Government will release the commodity from the godowns to the market. This will help to increase the supply of the commodity and bring the market price back to the fixed price.

**DATE**  
**फरवरी**  
**14**  
**2025**

- Key Point**
1. National News
  2. International News
  3. Govt. Mission, Apps
  4. Awards & Honours
  5. Sports News
  6. Economic News
  7. Newly Appointment
  8. Defence News
  9. Important Days
  10. Technology News
  11. Obituary News
  12. Books & Authors



**By Ankit Avasthi Sir**





# जेंडर बजट 2025-26 / Gender Budgeting 2025-26

## संदर्भ:

केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री **अन्नपूर्णा देवी** ने **बजट 2025-26** की प्रमुख प्रावधानों को साझा करते हुए **बच्चों और माताओं के पोषण** को बेहतर बनाने और **महिला उद्यमिता** को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की।

## बजट 2025-26 में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर:

### 1. समावेशी विकास की प्रतिबद्धता:

- सरकार का लक्ष्य **गरीब, युवा, किसान और महिलाएँ** - इन चार प्रमुख वर्गों के विकास को प्राथमिकता देना।
- '**विकसित भारत**' का विजन: शून्य गरीबी, 100% कौशलयुक्त श्रमशक्ति, 70% महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, भारत को वैश्विक खाद्य आपूर्ति केंद्र बनाना।

### 2. जेंडर बजट में ऐतिहासिक वृद्धि:

- कुल बजट का **8.8%** महिलाओं और बालिकाओं के लिए आवंटित, जो पिछले वर्ष के **6.8%** से अधिक।
- ₹4.49 लाख करोड़ का आवंटन **49 मंत्रालयों और विभागों** में।
- रेलवे, पोत परिवहन, भूमि संसाधन, औषधि व खाद्य प्रसंस्करण** जैसे गैर-पारंपरिक क्षेत्रों ने भी जेंडर बजट अपनाया।

### 3. महिला श्रम शक्ति भागीदारी में सुधार:

- 2021-22 में 33% से बढ़कर 2023-24 में 42%** हुई, लेकिन पुरुषों (79%) के मुकाबले अभी भी 37% का अंतर।
- 2047 तक 70% महिला भागीदारी** का लक्ष्य पाने के लिए कौशल विकास, उद्यमिता और सामाजिक सुरक्षा पर निवेश आवश्यक।
- महत्वपूर्ण योजनाएँ:**
  - स्किल इंडिया प्रोग्राम,
  - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM),
  - प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना,
  - एमजीएनरेगा,
  - प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना,
  - 'मेक इन इंडिया' के लिए उत्कृष्टता केंद्र।

- इन योजनाओं का कुल आवंटन **₹1.24 लाख करोड़**, जिसमें से **52% महिलाओं के लिए**।

### 4. गिग इकोनॉमी और अनौपचारिक क्षेत्र में सुधार:

- 90% महिलाएँ अनौपचारिक क्षेत्र में** कार्यरत, उनके लिए **ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण और पहचान पत्र जारी करने** की योजना।
- श्रम संहिताओं के प्रभावी क्रियान्वयन से **मातृत्व लाभ, न्यूनतम वेतन और रोजगार सुरक्षा** मिलेगी।

### 5. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल शिक्षा:

- शिक्षा क्षेत्र में **AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस** की स्थापना।
- इंडिया AI मिशन के तहत ₹600 करोड़ का जेंडर बजट**।
- महिलाओं के लिए **डिजिटल स्किल्स और एंटरप्राइज ट्रेनिंग** को बढ़ावा।

### 6. महिलाओं के लिए वित्तीय समावेशन और कृषि क्षेत्र में सुधार:

- किसान क्रेडिट कार्ड को भूमि स्वामित्व से अलग करने** का सुझाव, जिससे महिला किसानों को लोन और वित्तीय सहायता मिले।
- लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्यम (MSME) क्षेत्र में **20.5%** महिला उद्यमिता, जिससे 2.7 करोड़ लोगों को रोजगार।
- 30 मिलियन** अतिरिक्त महिला उद्यमियों के बढ़ने से **150-170 मिलियन नई नौकरियाँ** बनने की संभावना।

### 7. महिलाओं के लिए आर्थिक विकास की दिशा:

- नए स्टार्टअप और स्वरोजगार** के लिए बिना गारंटी वाले लोन और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम।
- लैंगिक-संवेदनशील बजट, सामाजिक सुरक्षा और महिला-पुरुष समावेशी श्रम बाजार से 2047 तक '**विकसित भारत**' का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है।

### भारत में जेंडर बजटिंग (Gender Budgeting):

- जेंडर बजटिंग** एक रणनीतिक उपकरण है, जिसके माध्यम से सरकार **विभिन्न लिंगों की विशिष्ट आवश्यकताओं** के अनुसार संसाधनों का आवंटन करती है।
- इसका उद्देश्य **नीतियों और बजट आवंटन को लैंगिक-संवेदनशील बनाना** और महिलाओं के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करना है।

### पृष्ठभूमि:

- भारत ने **CEDAW** (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), **1979** को **1993** में **अनुमोदित** किया।
- भारत में पहली बार **2005-06 में जेंडर बजट स्टेटमेंट** जारी किया गया, जो **हर साल बजट में शामिल किया जाता है**।
- यह सरकार की **महिला केंद्रित नीतियों और योजनाओं** पर ध्यान केंद्रित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

### वर्तमान स्थिति:

- जेंडर बजटिंग **मिशन शक्ति (Mission Shakti)** के **"समर्थ्य" (Samarthy)** उप-योजना के तहत आती है।

# आइंस्टीन रिंग / Einstein Ring


## संदर्भ:

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के **यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप** ने **आइंस्टीन रिंग** की एक दुर्लभ संरचना की खोज की है, जो आकाशगंगा **NGC 6505** के चारों ओर बनी हुई है। यह आकाशगंगा पृथ्वी से लगभग **590 मिलियन प्रकाश वर्ष** दूर स्थित है।

## आइंस्टीन रिंग:

### 1. क्या है आइंस्टीन रिंग?

- **आइंस्टीन रिंग एक प्रकाशीय वृत्त (Ring of Light) है**, जो किसी **गैलेक्सी, डार्क मैटर या खगोलीय पिंड** के चारों ओर दिखाई देता है।
- यह तब बनता है जब **पर्यवेक्षक (जैसे Euclid टेलीस्कोप), गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग करने वाला पिंड और पृष्ठभूमि की गैलेक्सी लगभग एक सीध में होते हैं।**



### 2. गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग: इसका वैज्ञानिक आधार:

- जब कोई विशाल खगोलीय पिंड, जैसे कोई गैलेक्सी, अपने गुरुत्वाकर्षण बल से **पीछे स्थित वस्तु के प्रकाश को मोड़ता और बढ़ाता है**, तो **आइंस्टीन रिंग का निर्माण होता है।**
- प्रकाश को मोड़ने वाले पिंड को **गुरुत्वाकर्षण लेंस** कहा जाता है।
- यह सिद्धांत **आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत (General Theory of Relativity)** पर आधारित है, जिसके अनुसार भारी वस्तुएं **स्पेस-टाइम को विकृत कर सकती हैं।**

### 3. खोज और दुर्लभता:

- **आइंस्टीन रिंग पहली बार 1987 में खोजी गई थी।**
- यह **अत्यंत दुर्लभ खगोलीय घटनाओं में से एक है और 1% से भी कम गैलेक्सियों में पाई जाती है।**
- **NGC 6505 गैलेक्सी के चारों ओर बनी आइंस्टीन रिंग, वास्तव में 4.42 अरब प्रकाश-वर्ष दूर स्थित एक अनाम गैलेक्सी के प्रकाश के विकृत होने से बनी है।**

## पर्यवेक्षण:

- **नंगी आंखों से नहीं दिखता**, केवल **Euclid जैसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीनों** से देखा जा सकता है।

## वैज्ञानिक महत्व:


- यह **ब्रह्मांडीय अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण** है क्योंकि यह **प्राकृतिक आवर्धक लेंस** की तरह काम करके **दूर स्थित गैलेक्सियों के विवरण** प्रकट करता है।
- यह **डार्क मैटर और डार्क एनर्जी** (जो ब्रह्मांड के विस्तार के लिए जिम्मेदार है) के अध्ययन में सहायक है।

## यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप:

### प्रक्षेपण:

- **2023 में केप कैनावेरल (फ्लोरिडा)** से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया।
- यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) द्वारा संचालित।

**स्थिति:** पृथ्वी से **1.5 मिलियन** किमी दूर लैंग्रेंजियन पॉइंट-2 (L2) पर स्थित।



**कार्यकाल:** अगले **6 वर्षों तक 10 अरब प्रकाश-वर्ष की दूरी** तक आकाशगंगाओं के आकार, दूरी और गति का अवलोकन करेगा।

## उद्देश्य:

- ब्रह्मांड का सबसे बड़ा 3D मानचित्र तैयार करना।
- डार्क मैटर के वितरण को समझना।
- प्रारंभिक ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी के प्रभाव का अध्ययन करना।

## एआई शिखर सम्मेलन 2025 घोषणा / AI Summit 2025 Declaration

### संदर्भ:

10-11 फरवरी 2025 को फ्रांस और भारत ने संयुक्त रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिति की सह-अध्यक्षता की। इस समिति में वैश्विक नेताओं ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य जनकल्याण के लिए एआई (AI) को बढ़ावा देना था।

### शिखर सम्मेलन घोषणा (Summit Declaration):

- प्रतिभागी देशों को "Trustworthy AI in the World of Work" प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करने के लिए आमंत्रित किया गया।
- यह एक गैर-बाध्यकारी (nonbinding) घोषणा थी।

### घोषणा के छह मुख्य प्राथमिकताएँ:

1. **एआई की पहुंच बढ़ाना** ताकि डिजिटल असमानताओं को कम किया जा सके।
2. **एआई को खुला, समावेशी, पारदर्शी, नैतिक, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाना**, जो अंतरराष्ट्रीय ढांचे के अनुरूप हो।
3. **नवाचार को बढ़ावा देना**, जिससे एआई का विकास हो और बाजार एकाधिकार से बचा जा सके।
4. **एआई को रोजगार के भविष्य और श्रम बाजार के लिए सकारात्मक रूप से उपयोग करना**, जिससे सतत विकास के अवसर पैदा हों।
5. **एआई को लोगों और पर्यावरण के लिए टिकाऊ बनाना।**
6. **अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना** ताकि एआई शासन में वैश्विक समन्वय बढ़े।

### घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले देश:

- 60 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए, जिनमें **कनाडा, चीन, फ्रांस और भारत** शामिल थे।
- **अमेरिका और ब्रिटेन** ने अंतिम घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए।

### वैश्विक एआई शासन में चुनौतियाँ:

- **अग्रणी देशों का एकाधिकार:** अमेरिका और चीन एआई नीति निर्माण को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे वैश्विक दक्षिण की आवश्यकताएँ पीछे छूट सकती हैं।
- **अमेरिका की नीति:** नवाचार और बाजार स्वतंत्रता को प्राथमिकता देता है, जबकि वैश्विक नैतिक मानकों (Ethical Frameworks) पर कम ध्यान देता है।
- **अलग-अलग नियामक दृष्टिकोण:** यूरोप का कठोर नियामक मॉडल बनाम अमेरिका का मुक्त बाजार मॉडल, जिससे वैश्विक एआई सहयोग में टकराव की संभावना।
- **विभिन्न शासन मॉडल:** एआई नियमों में देशों के बीच भिन्नता अंतरराष्ट्रीय सहयोग को कमजोर कर सकती है।
- **संसाधनों की असमानता:** विकसित और विकासशील देशों के बीच संसाधनों की भारी कमी एआई विकास और अनुसंधान में बाधा डालती है।



### भारत की भूमिका एआई शासन में:

- **एआई नीति विकास में नेतृत्व:**
  - भारत की सह-अध्यक्षता में एआई एक्शन समिति उसकी वैश्विक एआई नेतृत्व में बढ़ती भूमिका को दर्शाती है।
- **वैश्विक मंचों में सक्रिय भागीदारी:**
  - भारत संयुक्त राष्ट्र (UN), G-20, और वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता साझेदारी (GPAI) जैसे मंचों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है।
  - विकासशील देशों के लिए समान एआई पहुंच और शासन पर जोर देता है।
- **न्यायसंगत एआई शासन की वकालत:**
  - भारत डेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्ञान-साझेदारी तक समान पहुंच की आवश्यकता को उजागर कर रहा है।
- **हालिया उपलब्धियाँ:**
  - G-20 नई दिल्ली घोषणापत्र और GPAI नेतृत्व में भारत ने एआई के लाभों के उचित वितरण और जोखिम प्रबंधन को प्राथमिकता दी।
- **समावेशी वैश्विक एआई शासन:**
  - भारत वैश्विक दक्षिण (Global South) की आवाजों को एआई नीति में शामिल करने पर जोर दे रहा है।
  - न्याय, मानवाधिकार, और विविध वैश्विक दृष्टिकोणों पर केंद्रित एआई मॉडल को आगे बढ़ा रहा है।



## UDAN 5.5 Launched / उड़ान 5.5 का शुभारंभ

### संदर्भ:

**UDAN (उड़ें देश का आम नागरिक) योजना** ने 5.5 संस्करण के साथ एक नया मील का पत्थर हासिल किया है। इस चरण का उद्देश्य **दूरस्थ क्षेत्रों, पहाड़ी इलाकों और द्वीपों** में हवाई संपर्क को बेहतर बनाना है। इस पहल के तहत **समुद्री विमानों (Seaplanes) और हेलीकॉप्टरों** का उपयोग कर कम सेवा वाले क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा।

### UDAN (उड़ें देश का आम नागरिक) योजना:

- **परिचय:** नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई अड्डों का विकास और कनेक्टिविटी को बढ़ाना है।
  - **राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016** का एक हिस्सा।
- **उद्देश्य:**
  - भारत के **दूरस्थ और क्षेत्रीय क्षेत्रों** में हवाई संपर्क में सुधार करना।
  - **टियर-2 और टियर-3 शहरों** में किफायती और सुलभ हवाई यात्रा प्रदान करना।



### UDAN 5.5 के उद्देश्य:

- दूरस्थ और कम सेवा वाले क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देना।
- 80 जल निकायों (तालाब, बांध आदि) को जोड़ने वाले मार्ग विकसित करना।
- स्थानीय निवासियों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाना और पर्यटन को बढ़ावा देना।
- व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बनाकर आर्थिक लाभ प्रदान करना।

### संचालन का तरीका:

- **समुद्री विमान (Seaplanes) और 20 से कम यात्री** क्षमता वाले छोटे विमानों का उपयोग।
- लगभग **400 हेलीपैड** को हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए शामिल किया गया।
- **छोटे विमान संचालकों** की भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया।

### बोली प्रक्रिया और व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF)

#### बोली प्रक्रिया:

- योजना में रुचि रखने वाले ऑपरेटरों को बोली प्रक्रिया (Bidding Process) में भाग लेना अनिवार्य है।

#### व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (Viability Gap Funding - VGF):

- **सरकार चयनित ऑपरेटरों को VGF प्रदान करती है**, ताकि वे उन मार्गों पर सेवाएँ चला सकें जो **आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं हैं**।
- इससे दूरस्थ और कम सेवा वाले क्षेत्रों में हवाई सेवाएँ सुचारु रूप से संचालित रह सकें।

#### बजट 2025 में UDAN योजना:

- **विस्तार की घोषणा:** वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 में UDAN योजना के विस्तार की घोषणा की।
- **अगले 10 वर्षों में लक्ष्य:** योजना के तहत 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा।
  - **इससे 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।**
- **वित्तीय प्रावधान:** नागरिक उड्डयन मंत्रालय के कुल बजट का खुलासा नहीं किया गया।
  - **FY26 के लिए UDAN योजना** के तहत **₹540 करोड़** आवंटित किए गए।

#### UDAN योजना के तहत आगे विकास की संभावनाएँ:

#### वर्तमान स्थिति:

- भारत में फिलहाल कोई सीप्लेन सेवा (Seaplane Services) संचालित नहीं हो रही है।
- A1 श्रेणी में छोटे विमानों की संख्या 20 से भी कम है।

#### अगले 5 वर्षों में संभावित विकास:

- **50 से अधिक सीप्लेन मार्गों (Seaplane Routes)** का निर्माण।
- **20-25 नए एयरोड्रोम (Aerodromes)** का विकास।
- लगभग **30 अतिरिक्त विमानों** की आवश्यकता।

## सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद / Gross Domestic Knowledge Product (GDKP)

### संदर्भ:

सरकार GDP के साथ एक नए सूचकांक, ग्राँस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट (GDKP) को शामिल करने की योजना को फिर से शुरू कर रही है। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने इसके वैचारिक ढांचे पर चर्चा की। यह नया मापक नवाचार (Innovation), बौद्धिक संपदा (Intellectual Assets) और ज्ञान-आधारित क्षेत्रों के योगदान को आर्थिक विकास में अधिक प्रभावी रूप से दर्शाएगा।

### सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद (GDKP):

#### परिचय:

- GDKP एक प्रस्तावित संकेतक है, जो सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के पूरक के रूप में कार्य करेगा।
- यह ज्ञान-आधारित क्षेत्रों, बौद्धिक संपत्तियों और नवाचार के आर्थिक योगदान को मापने पर केंद्रित है।

#### GDP और GDKP का अंतर:

- GDP मुख्य रूप से उत्पादन और खपत के माध्यम से आर्थिक उत्पादन को मापता है।
- GDKP ज्ञान के प्रभाव को आर्थिक और सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से मूल्यांकन करता है।

### भारत में GDKP की आवश्यकता:

#### 1. ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था का आकलन:

- भारत अनुसंधान, पेटेंट, सॉफ्टवेयर विकास, एआई, डिजिटल सेवाओं और बौद्धिक संपदा में तेजी से वृद्धि कर रहा है।
- ये क्षेत्र आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, लेकिन GDP में इनका समुचित मूल्यांकन नहीं होता।

#### 2. पारंपरिक आर्थिक संकेतकों की सीमाएँ:

- GDP केवल ठोस वस्तुओं और सेवाओं को मापता है, लेकिन ज्ञान सृजन, शिक्षा और डिजिटल परिवर्तन को पर्याप्त रूप से नहीं दर्शाता।
- GDKP एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करेगा, जो आर्थिक और सामाजिक प्रभावों को बेहतर ढंग से माप सकेगा।

#### 3. वैश्विक रुझानों के अनुरूपता:

- विकसित अर्थव्यवस्थाएँ डिजिटल नवाचार, अमूर्त संपत्तियों और बौद्धिक पूंजी के मापन के लिए वैकल्पिक संकेतकों पर काम कर रही हैं।
- भारत भी एक ऐसा ढांचा विकसित करना चाहता है, जो इन अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के अनुरूप हो।

#### 4. नीति और निवेश संबंधी निर्णय:

- GDKP सरकार को शिक्षा, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों के लिए बेहतर नीतियाँ बनाने में मदद कर सकता है।
- यह अनुसंधान एवं विकास (R&D), डिजिटल कनेक्टिविटी और कौशल विकास में निवेश को सही दिशा देने में सहायक होगा।

### GDKP लागू करने में चुनौतियाँ:

#### 1. डेटा संग्रह की समस्याएँ

- GDP की तुलना में GDKP के लिए नए तरीकों की आवश्यकता होगी, क्योंकि ज्ञान उत्पादन को मापने के लिए कोई स्थापित आर्थिक संकेतक उपलब्ध नहीं हैं।
- बौद्धिक संपदा, अनुसंधान उत्पादन, डिजिटल नवाचार और मानव पूंजी विकास से जुड़े डेटा बिखरे हुए हैं और इन्हें मात्रात्मक रूप से मापना कठिन है।

#### 2. GDP के साथ समेकन (Integration):

- कुछ ज्ञान-आधारित योगदान पहले से ही GDP में शामिल होते हैं (जैसे बौद्धिक संपदा को स्थिर पूंजी निर्माण में गिना जाता है)।
- GDKP को GDP में दोहराव से बचाते हुए एकीकृत करना चुनौतीपूर्ण होगा।

#### 3. मापन में विषयगत जटिलता (Subjectivity in Measurement):

- राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC) ने पहले उल्लेख किया था कि ज्ञान से जुड़े मानकों को परिभाषित करना और मात्रात्मक रूप से मापना कठिन है।
- MoSPI (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) ने स्वीकार किया है कि GDKP की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए एक उचित कार्यप्रणाली आवश्यक होगी, ताकि आंकड़ों का आकलन धारणा-आधारित न हो।

## बाजार हस्तक्षेप योजना / Market Intervention Scheme

### संदर्भ:

भारत सरकार ने हाल ही में **बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS)** के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है ताकि राज्यों को इस योजना को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इस सुधार का उद्देश्य किसानों को उनके कृषि उत्पादों का उचित मूल्य दिलाना और बाजार में स्थिरता बनाए रखना है।

**बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) : किसानों के लिए राहत योजना-**

### 1. योजना का परिचय:

- **MIS (Market Intervention Scheme) प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA)** का एक घटक है।
- यह तब लागू किया जाता है जब **नाशवंत कृषि/बागवानी उत्पादों** के बाजार मूल्य एक निश्चित स्तर से नीचे गिर जाते हैं।
- यह उन फसलों पर लागू होता है जिनका **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय नहीं किया गया है**, जैसे **टमाटर, प्याज, आलू (TOP फसलें)**।

### 2. योजना की कार्यप्रणाली:

- यह योजना **राज्य/केंद्रशासित प्रदेश (UT) सरकारों के अनुरोध** पर लागू होती है।
- यदि किसी फसल के बाजार मूल्य में **पिछले सामान्य सीजन की तुलना में 10% या अधिक गिरावट** आती है, तब सरकार MIS के तहत हस्तक्षेप करती है।



### Market Intervention Scheme (MIS)

Government revises Market Intervention Scheme (MIS) guidelines

- MIS will be implemented only when there is a **minimum reduction of 10%** in the prevailing market price as compared to the previous normal year.
- **Procurement limit** of crops under MIS increased from 20% to **25%**
- The State has also been given the option to pay the difference between the Market Intervention Price (MIP) and the selling price directly into the bank account of the farmers in place of physical procurement.

### 3. MIS के मुख्य उद्देश्य:

- किसानों को संकटग्रस्त बिक्री (Distress Sale) से बचाना।
- MSP के दायरे से बाहर की फसलों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना।
- बाजार में मूल्य स्थिरता बनाए रखना और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer) या खरीद प्रणाली (Procurement Mechanism) द्वारा समर्थन देना।
- उत्पादक और उपभोक्ता राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाना ताकि किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त हो।

### बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) के कार्यान्वयन के लिए संशोधित दिशानिर्देश:

#### 1. MIS लागू करने की शर्तें:

- यदि मौजूदा बाजार मूल्य पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में **10% या अधिक कम** हो जाता है, तो MIS लागू की जाएगी।

#### 2. उत्पादन सीमा में वृद्धि:

- फसलों के उत्पादन की **खरीद/कवरेज सीमा 20% से बढ़ाकर 25%** कर दी गई है।

#### 3. किसानों को सीधी राशि हस्तांतरण:

- अब राज्य सरकारें किसानों के बैंक खाते में **"बाजार हस्तक्षेप मूल्य (MIP)"** और विक्रय मूल्य के अंतर की राशि सीधे जमा कर सकती हैं, जिससे **भौतिक खरीद (Physical Procurement) की आवश्यकता कम होगी**।

#### 4. TOP फसलों (टमाटर, प्याज, आलू) के लिए विशेष प्रावधान:

- यदि उत्पादक और उपभोक्ता राज्यों के बीच मूल्य में अंतर होता है, तो **केंद्रीय नोडल एजेंसियाँ (CNA) जैसे NAFED और NCCF भंडारण और परिवहन** लागत की भरपाई करेंगी।
- NCCF को **मध्य प्रदेश से दिल्ली तक 1,000 टन खरीफ टमाटर के परिवहन लागत** की प्रतिपूर्ति के लिए स्वीकृति दी गई है।

#### 5. अतिरिक्त एजेंसियों की भागीदारी:

- अब NAFED और NCCF के अलावा, किसान उत्पादक संगठन (FPO), किसान उत्पादक कंपनियाँ (FPCs), राज्य-नामित एजेंसियाँ और अन्य केंद्रीय नोडल एजेंसियों को MIS के तहत TOP फसलों की खरीद, भंडारण और परिवहन का कार्य सौंपा जाएगा।



## दोषी व्यक्तियों द्वारा चुनाव लड़ना / Contesting of Elections by the Convicted Persons

### संदर्भ:

भारत का सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान में उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिनमें दोषी व्यक्तियों पर आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है।

### चुनाव संबंधी कानूनी प्रावधान (Legal Provisions):

#### 1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RP Act, 1951) के तहत प्रावधान:

##### धारा 8(3):

- यदि कोई व्यक्ति आपराधिक अपराधों में दोषी ठहराया जाता है और दो वर्ष या अधिक की सजा प्राप्त करता है, तो वह अयोग्य घोषित हो जाता है।
- रिहाई के बाद भी 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध रहता है।

##### धारा 8(1):

- कुछ विशेष कानूनों के तहत दोषी पाए गए व्यक्तियों को सजा की अवधि के दौरान और रिहाई के बाद 6 वर्षों तक अयोग्य घोषित किया जाता है।
- इनमें शामिल अपराध:
  - बलात्कार (Rape) जैसे जघन्य अपराध।
  - नागरिक अधिकार संरक्षण (PCR) अधिनियम के तहत अस्पृश्यता (Untouchability) का प्रचार या पालन।
  - गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत गैरकानूनी संगठनों से जुड़ाव।
  - भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act)।

##### धारा 11:

- यह चुनाव आयोग (EC) को यह अधिकार देती है कि वह किसी दोषी व्यक्ति की अयोग्यता को समाप्त या कम कर सकता है।

### सुप्रीम कोर्ट के फैसले: राजनीति में अपराधीकरण पर रोक-

#### 1. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स (ADR) केस, 2002

- सुप्रीम कोर्ट ने सभी चुनावी उम्मीदवारों के लिए आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा अनिवार्य किया।
- इस फैसले का उद्देश्य मतदाताओं को पारदर्शिता और सूचना प्रदान करना था।

#### 2. मुख्य चुनाव आयुक्त बनाम जन चौकीदार केस, 2013

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेल में बंद व्यक्ति 'मतदाता' नहीं होता और चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होता।
- हालांकि, 2013 में संसद द्वारा संशोधन किया गया, जिससे अंडर-ट्रायल (मुकदमे का सामना कर रहे) कैदियों को चुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई।

### 3. लिली थॉमस केस, 2013:

- सुप्रीम कोर्ट ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(4) को असंवैधानिक करार दिया।
- इसके तहत, किसी भी सांसद/विधायक को दोषसिद्धि होते ही अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- इस फैसले ने दोषी जनप्रतिनिधियों को बचाने वाली विशेष छूट को खत्म कर दिया।

### राजनीति में अपराधियों के प्रवेश पर तर्क

#### पक्ष में तर्क:

- **नैतिकता की रक्षा:** गंभीर अपराधों में दोषी व्यक्ति राजनीतिक प्रणाली की शुचिता को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
- **जनता का विश्वास:** अपराधियों को चुनाव लड़ने देना, जनता के लोकतंत्र पर भरोसे को कमजोर कर सकता है।
- **आदर्श आचरण:** इससे गलत संदेश जाएगा कि अवैध या अनैतिक आचरण स्वीकार्य है।
- **सुरक्षा और कानून व्यवस्था:** हिंसक अपराधों या भ्रष्टाचार में दोषी व्यक्ति नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं।
- **सामाजिक न्याय:** अपराधी नेताओं से कानूनों और नीतियों को प्रभावित करने का खतरा होता है, इसलिए उन्हें सत्ता से दूर रखना आवश्यक है।

#### विपक्ष में तर्क:

- **राजनीतिक भागीदारी का अधिकार:** दोषी व्यक्ति भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार रखते हैं।
- **पुनर्वास:** जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है, उन्हें समाज सेवा का अवसर मिलना चाहिए।
- **निर्दोषता की संभावना:** कानूनी प्रक्रिया में बदलाव होने पर दोष सिद्धि समाप्त भी हो सकती है।
- **अधिकारों पर अतिक्रमण:** यह प्रतिबंध राज्य द्वारा जनता के अपने नेताओं को चुनने के अधिकार पर अतिक्रमण हो सकता है।



## दक्षिण चीन सागर में गहरे पानी का 'अंतरिक्ष स्टेशन' / Deepwater 'Space Station' in South China Sea

## संदर्भ:

चीन ने दक्षिण चीन सागर में पहली गहरे पानी की 'अंतरिक्ष स्टेशन' परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है।



## गहरे समुद्र में शोध सुविधा और दक्षिण चीन सागर:

## शोध सुविधा के बारे में:

- यह एक **कोल्ड सीप इकोसिस्टम रिसर्च फैसिलिटी** होगी, जो समुद्र तल से **2,000 मीटर** की गहराई में स्थित होगी।
- यह **सबसे गहरी और तकनीकी रूप से जटिल अंडरवाटर इंस्टॉलेशन** में से एक होगी।
- इसके **2030 तक परिचालन में आने** की संभावना है।

## दक्षिण चीन सागर:

## परिचय:

- यह दुनिया के **सबसे रणनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्गों** में से एक है।
- यह **दक्षिण-पश्चिम में मलक्का जलडमरूमध्य से उत्तर-पूर्व में ताइवान जलडमरूमध्य तक फैला हुआ है।**
- यह **प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है।**

## भौगोलिक स्थिति:

- यह क्षेत्र **चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम** से घिरा हुआ है।

## महत्व:

- यह क्षेत्र **तेल, गैस और मत्स्य संसाधनों** से समृद्ध है।
- यह **वैश्विक व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है।**

## विवाद:

- चीन इस पूरे क्षेत्र पर **विस्तृत दावा करता है**, जिससे यह विवादित क्षेत्र बना हुआ है।
- **फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई** जैसे ASEAN देश **चीन के दावों का विरोध** करते हैं।
- यह विवाद **नेविगेशन और हवाई यातायात की स्वतंत्रता** को प्रभावित करता है।

## भारत का रुख:

- पहले भारत इस मुद्दे पर **तटस्थ** था, लेकिन अब उसने **फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों का समर्थन** करना शुरू किया है।
- भारत अपनी **ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक संबंधों को मजबूत** करने के लिए **Look East Policy** के तहत इस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

## दक्षिण चीन सागर (SCS) विवाद के कारण:

## 1. क्षेत्रीय विवाद:

- **चीन का आक्रामक रुढ़ैया:** चीन ने SCS पर अपना दावा मजबूत करने के लिए **ASEAN देशों के साथ टकराव बढ़ाया है।**
- **2013-2015:** चीन ने **स्पैटली द्वीप समूह में 7 मूंगा चट्टानों पर 3,000 एकड़ के कृत्रिम द्वीप** बनाए।
- चीन ने **तीन द्वीपों का पूर्ण सैन्यीकरण** कर दिया है।

## 2. संसाधनों पर प्रतिस्पर्धा:

- **तेल और गैस भंडार:** SCS में **3.6 अरब बैरल पेट्रोलियम और 40.3 ट्रिलियन घन फीट प्राकृतिक गैस** उपलब्ध है।
- **दुर्लभ खनिज पदार्थ:** समुद्र तल पर स्थित खनिज संसाधनों पर भी कई देशों की नज़र है।
- **मछली उद्योग:** यह क्षेत्र **\$100 अरब सालाना** का मत्स्य उत्पादन करता है, जो **वैश्विक मछली उत्पादन का 12%** है।

## 3. राष्ट्रवाद और घरेलू राजनीति:

- **चीन और वियतनाम** जैसे देशों ने SCS पर अपने दावों को मजबूत करने के लिए **राष्ट्रवादी भावना** को बढ़ावा दिया है।
- **अमेरिका की भूमिका:** अमेरिका-फिलीपींस रक्षा समझौते के कारण **चीन और अधिक असहज महसूस कर रहा है।**

## 4. रणनीतिक हित:

- **महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग:** SCS दुनिया के **सबसे व्यस्त शिपिंग मार्गों** में से एक है।
- यह मार्ग **पूर्वी एशिया को भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप और अफ्रीका से जोड़ता है।**

**"GET READY FOR A WILD RIDE OF KNOWLEDGE !"**

**SUBSCRIBE OUR NEW YOUTUBE CHANNEL**

**ANKIT AVASTHI**

**Video will be upload soon !**



**ANKIT AVASTHI**






# RRB NTPC

## TEST SERIES

- ✓ 100+ Mock Test
- ✓ 78 Sectional Test
- ✓ 40+ years PYPs
- ✓ 60+ Current affairs

TEST



**Only**

**99** *Per Year*

**Buy Now**





# GA FOUNDATION




Hand Written  
**Notes**

  
**Pathshala**  
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

  
**Ani**  
Ankit Inspires India

₹ **Only**  
**1999**

**4 पुस्तकों का  
सम्पूर्ण सेट**



अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

 **7878158882**





# APNI PATHSHALA

## UPPSC, RO/ARO, BPSC, UP

## TEST SERIES

### UPPSC

(TEST SERIES)

- 35+ MOCK TESTS
- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

**299/-**  
YEAR

### RO/ARO

(TEST SERIES)

- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

**299/-**  
YEAR

### BPSC

(TEST SERIES)

- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

**299**  
YEAR

### SSC

(TEST SERIES)

- 30 MOCK TESTS
- 28+ YEAR PYP
- 12 SECTIONAL TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

**99/-**  
YEAR

### RPF

(TEST SERIES)

- 40 MOCK TESTS
- 2 YEAR PYQ'S
- 4 SECTIONAL TEST
- 10 PRACTICE TEST
- 60 CURRENT AFFAIRS

**99/-**  
YEAR



Download | Application

## Apni Pathshala

7878158882

Apni.Pathshala Avasthiankit

AnkitAvasthiSir kaankit

**ANKIT AVASTHI SIR**



# NCERT COMPLETE

## FOUNDATION BATCH

▶ POLITY ▶ ECONOMICS  
▶ HISTORY ▶ GEOGRAPHY

FOR ALL

 DAILY LIVE CLASSES

 WEEKLY TEST

 CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)

 LIVE DOUBT SESSIONS

 DAILY PRACTISE PROBLEM

Rs

4999/-



Apni Pathshala  7878158882

 Apni.Pathshala  kaankit  AnkitAvasthiSir  Avasthiankit



# ONLY POLITY



1499  
RS

DAILY LIVE CLASSES

-  WEEKLY TEST
-  CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
-  LIVE DOUBT SESSIONS
-  DAILY PRACTISE PROBLEM

**Apni Pathshala**  **7878158882**

 Apni.Pathshala  kaankit  AnkitAvasthiSir  Avasthiankit

# SSC TEST SERIES

CGL, CHSL, MTS, CET, CPO, GD,  
Stenographer (Grades C & D)



Only at

**99/- Year**

Enroll Now!

